ISSN No-2031-5063 Vol.1,Issue.V/Nov 2011pp.1-4

Research Paper

नारी जीवन की समस्याएँ एवम् समयानुसार परिवर्तन

ममता रानी
शोध छात्रा–***पी.***एच.डी. हिन्दी विभाग
सिंघानिया विश्वविधालय (राजस्थान)

प्रस्तावना

''हमारे समाज में नारी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं नारी के बिना समाज का अपना कोई अस्तित्व नहीं है नारी को समाज की जननी की संज्ञा दी गई है। कहा भी जाता है, जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहीं देवी–देवता वास करते हैं। परन्तु यह भी सच है कि स्त्री माता, पत्नी, पुत्री और बहन के अलावा एक इंसान भी होती है नारी की भी अपनी एक पहचान होती है। उसकी भी अपनी सोच–समझ, इच्छा–अनिच्छा होती है, परन्तु हमारा समाज पुरूष प्रधान समाज है यहां पर पुरूषों को ही प्राथमिकता दी जाती है।''1

''हर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ पुरूष को ही दिया गया है। नारी अपने स्वयं से भी सम्बन्धित कोई निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र नहीं मानी जाती है। प्राचीन इतिहास में तो बहुत समय तक नारी इतिहास के पन्नों से गुम ही रहीं। 19वीं सदी में हम कह सकते है कि नारीवादी इतिहास लेखन की शुरूआत हुई। प्राचीन समय में नारी ने बहुत सी जगह अपनी अहम् भूमिका निभाते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। 19वीं सदी को हम एक तरह से भारत के लिए पुर्नजागरण का समय भी कह सकते हैं जब सती प्रथा, बालिका वध व विधवा पुर्नविवाह के लिए कानून बना दिए गए थे।''2 20वीं सदी में महिलाओं ने राष्ट्र के आन्दोलनों में काबिले तारीफ भूमिका अदा की। इन्होंने कई आन्दोलनों जैसे उग्रवादी आन्दोलन, सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी अपना बढ़–चढ़ कर योगदान दिया। 1947 में स्वतन्त्रता मिलने के बाद दहेज हत्या और बलात्कार जैसे मामलों के लिए कानून बनाए जाने लगे। तलाक व सम्पत्ति के अधिकार के लिए भी कानूनों की रचना की जाने लगी ताकि किसी तरह की समस्या का जन्म ना हो सके।''3 ''प्राचीन समय में अन्धविश्वासों, रूढ़िवादी परम्पराओं व मान्यताओं को अधिक महत्ता दी जाती थी ऐसे वातावरण में महिलाओं का शोषण व उन पर अत्याचार किए जाते थे। पर्दा प्रथा पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था। पिछड़े वर्ग व उच्च वर्ग दोनों में ही कन्या के जन्म को एक अभिशाप के रूप में माना गया था। भारतीय वर्ग और जात–पात के कारण महिलाओं में आज भी एकजुटता नहीं हो पा रही है। महिलाओं को हमारे समाज में पुरूषों से नीचा दर्जा दिया गया है चाहे वे महिलाएं उच्च वर्ग की हों या फिर निम्न वर्ग की। हमारे इस समाज में हमेशा से इसी बात को प्रधानता दी गई है कि नारी चाहे कितनी भी शिक्षित क्यों ना हो, यदि पति चाहेगा तो ही नारी नौकरी करने हेतु अपने घर से बाहर समाज में जाएगी। पुरूष प्रधान समाज ने महिलाओं के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुँचाई हैं। ऐसा हमेशा से होता आया है चाहे गलती नारी ने ना भी की हो परन्तु उसके साथ अमानवीय व्यवहार करना, मारपीट करना व आरोप लगाना अन्त में उसे घर से बेघर कर दिया जाता है यही रीत हमेशा समाज में चलती आई है ये सभी रूढ़ धारणाएं जो इस पुरूष प्रधान समाज में हैं अवैज्ञानिक तो हैं हीं अमानवीय भी हैं। 1971 के बाद राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर नारी के हित के लिए नारी मुक्ति आन्दोलन, यौन क्रान्ति जैसे कई कठोर कदम उठाए गए। गर्भपात कराने पर मजबूर आदि के लिए कानूनी अधिकार शिक्षा नियम लागू किये गए।''4

''समाज में स्त्री चेतना का विकास, हर काम में महिलाओं की हिस्सेदारी जैसे–मीडिया, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए कई कदम उठाए गए। परन्तु आज भी इतना कुछ करने के बावजूद कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों की सोच में बदलाव नहीं हुआ है वे अपने परिवारों की सोच व उनके संस्कारों, रीति–रिवाजों को ही पकड़े बैठे हुए हैं'।'5

''पहले समय में कन्या के विवाह को एक बहुत बड़ा बोझ समझा जाता था। हमारा समाज कन्या के जन्म को अशुभ समझता था। इसीलिए जैसे ही लड़कियों का जन्म होता था तो उन्हें मार दिया जाता था यदि गलती से कोई लड़की बच जाती थी तो उसका विवाह बहुत जल्दी छोटी आयु में कर दिया जाता था बाल विवाह के कारण लड़की को बहुत सी विडम्बनाओं को सहन करना पड़ता था'' ।6 ''बंगाल में कुलीन ब्राह्मणों में बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा अत्याधिक प्रचलित थी। कभी–2 एक कुलीन ब्राह्मण पुरूष 50 से 60 कन्याओं से विवाह कर लेता था।''7 ''परन्तु आज के समय के अनुसार कुछ बदलाव हुए हैं आज कुछ ऐसे कानून व नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार हिन्दू व्यक्ति जब तक अपनी पहली जीवित पत्नी से तलाक नहीं ले लेता तब तक वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता है इससे हमारे समाज में लड़कियों की कुछ हद तक स्थिति सुधरी है। यदि प्राचीन समय में पति की मृत्यु हो जाती थी तो स्त्री को सती होना पड़ता था। परन्तु अब समयानुसार परिवर्तन होने से ऐसी प्रथाओं जैसे –बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियों को समाप्त कर दिया गया है इन सब को खत्म करने में हमारे देश के कुछ महान् पुरूषों जैसे–राजाराम मोहन राय ने बहुत संर्घष किया तथा इन कुरीतियों को जड़ से खत्म किया।''8

''वैदिक काल में नारी को ससुराल की सेविका माना जाता था व नारी को दबाकर रखा जाता था। हिन्दू परिवारों में नारी को रूढ़िवादी तत्व माना जाता था कि चाहे पति कितना भी पापी क्यों ना हो परन्तु पत्नी उसकी पूजा परमात्मा के समान करेगी''9। ''प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा पर पूर्ण जोर दिया गया परन्तु मुगल सम्राज्य के पतन के बाद 18वीं सदी में स्त्री शिक्षा को किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला। 20वीं व 21वीं सदी में नारी शिक्षा पर पूरा जोर दिया गया क्योंकि यही समझा जाता था कि यदि नारी शिक्षित होती है तो वह दो घरों का सुधार कर देती है। एक सुखी दाम्पत्य जीवन बीतानें हेतु पति व पत्नी दोनों का पढ़ा–लिखा होना जरूरी होता है। बदलते समय के अनुसार 20वीं सदी में महिलाओं ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के साथ–2 पूर्ण स्वतन्त्रता व समानता के लिए नारी आन्दोलन चलाए व स्वतन्त्र संगठन बनाये। 1856 ई0में 'विधवा विवाह कानून' बनाया गया जिससे स्त्री दशा सुधारने में बहुत मदद

मिली'' ।10 ''1943ई0 में स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु नियम बनाए गए जैसे–यदि कोई महिला कार्यरत है तो उसे बच्चे के जन्म के समय अवकाश देने की व्यवस्था की गई'' ।11 ''पहले लिंग जांच का पता लगाने के लिए अर्थात् गर्भवती द्वारा जांच करवाए जाने पर रोक नहीं थी। परन्तु अब समय अनुसार कुछ परिवर्तन हुए तथा भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया।''12 ''इतिहास इस बात का गवाह है कि आज भी कन्या–भ्रूण हत्या ''बेटे की चाह, और लिंग चुनाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके सच्चाई को छिपाया जा रहा है, हांलाकि गैर–कानूनी हत्या बहुत बड़े पैमाने पर करवाई जा रही हैं माँ–बाप की इच्छा से डॉक्टर इस काम को धडल्ले से कर रहे हैं क्योंकि माँ–बाप ग्राहक के रूप में अपनी पंसद रखते हैं परन्तु इस स्थिति को सुधारने के लिए कानून में सख्त कदम उठाए गए व ऐसे माँ–बाप और डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाही के पश्चात 7 वर्षों तक जेल की सजा और जुर्माना किया जाता है।''13

''राज्य जिनमें बच्चों के लिंग–अनुपात में सबसे अधिक गिरावट हुई।

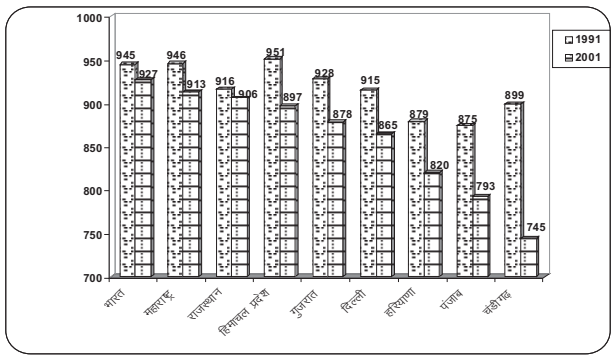

हमारे देश में लगभग हर एक मिनट में एक कन्या–भ्रूण–हत्या होती है जबकि भारतीय डॉक्टरों के संगठन का इस संख्या पर मतभेद रहा है वे कहते है कि हर साल हमारे देश में 5 लाख नहीं बल्कि 2.5 लाख कन्या भ्रूण–हत्या होती है।''14 समय के साथ–साथ स्त्री के अधिकारों को बहुत बढ़ावा दिया गया है स्त्री को अब शादी के बाद पति की सम्पत्ति में भी बराबर का अधिकार दिया गया है। 1874ई0 में विवाहित पत्नी संपत्ति अधिनियम एवं 1929 ई0 में बाल–विवाह अवरोधक अधिनियम बनाया गया। सन् 1930 ई0 में 'शारदा कानून' बनाया गया जिसके अंर्तगत लड़के की शादी की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की 14 वर्ष निश्चित की गई। परन्तु अब आधुनिक समय में लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़की की 18 वर्ष निश्चित की गई हैं ताकि लड़के व लड़की का सम्पूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास हो सकें।''15

निष्कर्षः– उपरोक्त अध्ययन से प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में नारी की स्थिति पहले से सुदृढ़ हुई है जिसके परिणामस्वरूप आज लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति के पद पर एक महिला ही कार्यरत है परन्तु कहीं ना कहीं अभी भी नारी पर अत्याचार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए हैं समाज में देश के कुछ हिस्सों में आज भी बालविवाह और कन्याओं को अनपढ़ रखने जैसी कुरीतियाँ देखने को मिल जाती है जिन्हें समाप्त करने के लिए और अधिक कड़े नियमों व कड़ी कानून व्यवस्था की आवश्यकता हैं।

सन्दर्भ ग्रंथः–

1. भारतीय इतिहास में नारी, डी0के. शरण, क्लासिकल पाबलिशिंग कम्पनी, दिल्ली, प्रथम संस्करण – सन् 2007
2. भारतीय इतिहास में नारी, डी0के0 शरण, – क्लासिकल पाबलिशिंग कम्पनी, दिल्ली, प्रथम संस्करण – सन् 2007
3. विजन, मैथली पुष्पा, पेज–86.
4. आधुनिक भारत का राजनीतिक व संस्कृति इतिहास, मित्तल, ए0केः– आगरा, पृ0–309,310.
5. लूनिया, बी0एनः– आधुनिक भारत का जन जीवन और संस्कृति, इन्दौर 1993, पृ0–41
6. वही
7. पन्निकर, के0एमः हिन्दू सोसायटी ऑफ क्रासरोड़, पृ0–36
8. मजमूदार, डी0एन0ः रेस ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया, 1958, पृ0–252.
9. सिंह, राजबाला, मधुबालाः भारत में महिलाएं, जयपुर, 2006.
10. पूनिया, बी0एनः– आधुनिक भारत का जन जीवन और संस्कृति इन्दौर, 1993, पृ0–141.
11. डॉक्टर, पुनीत बेदी, कार्यकर्त्ता, क्रिस्टीन दूने के शब्दों में, जैन्डर जैनोसाईड, 'द सण्डे टाईम्स, अगस्त 2007,
12. वही
13. सिंह, राजबाला, मधुबालाः भारत में महिलाएं, जयपुर, 2006, पृ0 19–20.
14. शर्मा, ए0ल0 पीः– आधुनिक भारतीय संस्कृति, 1996, पृ0–172,
15. मिश्रा, सरस्वती : भारत में स्त्रियों की परिस्थिति, दिल्ली, 1996, पृ0–13, 14.